फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

रामप्रसाद .... बनाम .... छोटेलाल

किस्म मुकदमा .... दावा .... मु0नं0 .... 115/19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.5.22	पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। पत्रावली के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि साबिक खसरा नम्बर 487 रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 637 रकबा 2.81 है0 वाके रामा गांगदवाडी तह0 सिकराय जिला दौसा में स्थित है जिसकी खातेदारी वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज है। उक्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है जिस पर वादीगण बुजुर्गो के समय से ही काबिज काश्त होकर चले आ रहे है।प्रतिवादीगण का वादीगण की खातेदारी की भूमि से किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं है वादीगण की भूमि के लगते हुये दिशा पश्चिम की ओर प्रतिवादी की खसरा नम्बर 12 रकबा 0.68 है0 भूमि स्थित है। प्रतिवादी अपराधिक प्रवृति के लोग है जो वादीगण की खातेदारी भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है। वादीगण द्वारा सीमाज्ञान के लिए तहसीलदार सिकराय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार सिकराय ने दिनांक 07.06.2018 को भूमि का सीमाज्ञान करने के लिए उक्त आदेशो की पालना में हल्का पटवारी व गिरदावर टोरडा ने दिनांक 16.06.2018 को प्रतिवादी की मौजुदगी में भूमि का सीमाज्ञान किया एवं वादीगण को उनकी भूमि पर चारों ओर से सीमा चिन्ह कायम किये गये लेकिन प्रतिवादी 1 द्वारा उक्त सीमाचिन्हों को हटा दिए। प्रतिवादीगण आपराधिक प्रकृति के व्यक्ति है तथा वादीगण को परेशान कर उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है। यदि प्रतिवादीगण वादीगण को जबरन उक्त भूमि से बेदखल कर देंगे तो वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी तथा वादीगण बर्बाद हो जाएंगे। इस कारण स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र पेश करना जालिम आया है। पत्रावली दिनांक 09.10.2019 दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किए गए। दिनांक 0802.2021 को प्रतिवादीगण के बावजूद तामील अनु0 रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध प्रतिवादीगण की जाकर पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई। दिनांक 26.02.2021 को साक्ष्यवादी पेश किए जाने पर पत्रावली बहस में नियत की जाकर दिनांक 16.05.2022 को बहस दावा सुनी गई। बहस के तथ्यों पर गौर किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात जमाबंदीयात का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत भूमि वादीगण की खातेदारी भूमि है जिस पर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि साबिक खसरा नम्बर 487 रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा जिसका वर्तमान खसरा	

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय (दौसा)

	नम्बर 637 रकबा 2.81 है0 वाके रामा गांगदवाडी तह0 सिकराय जिला दौसा में स्थित है में प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि उक्त आराजी भूमि में वादीगण को काश्त करने में बाधा अवरोध अड़चन व्यवधान पैदा करने से तथा उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने से हमेशा के लिए बाज व मुम्तन्हा रहें। उपरोक्तानुसर डिक्री जारी हो। खर्चा मुकदमा अपना अपना वहन करेंगे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में लिखाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	